राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0 / 1364 / 2023 दिनांकः— 03/05/2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

विषयः—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व उससे सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों का मण्डलवार व जनपदवार डाटा मैपिंग फीड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उ0 प्र0 शासन लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या—1116 / सत्तर—3—2023 दिनांक—01.05.2023 का अवलोकन करने कष्ट करें।

शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि संलग्न प्रारुप को पूर्ण कर सूचना विश्वविद्यालय के ईमेल—registrar.rmpu@gmail.com पर 02 दिवस के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि डाटा मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

03/5

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

03/05/23
सहा0 कुलसचिव

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या– 1116 /सत्तर–3–2023

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2023

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अर्न्तगत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व उससे सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों का मण्डलवार व जनपदवार डाटा मैपिंग फीड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 13.03.2023 को आहूत समीक्षा बैठक में संज्ञान में आया कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सम्बद्ध व सहयुक्त महाविद्यालयों को मण्डलवार व जनपदवार अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिसके कारण राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सम्बद्ध व सहयुक्त महाविद्यालयों के सम्बन्ध में विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–66(क) के अन्तर्गत नीतिगत मामलों में निर्देश निर्गत किये जाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों की डाटा मैपिंग **(संलग्न तालिकानुसार)** की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराते हुए शासन को 02 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सूचना समयान्तर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

उक्त डाटा मैपिंग कार्यों का वैरिफिकेशन एवं प्रमाणीकरण श्रीमती सुनन्दा चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, श्री राघवेन्द्र सिंह, तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव।

RPS GO

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर सूचना प्रत्येक दशा में 02 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1- श्रीमती सुनन्दा चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- श्री राघवेन्द्र सिंह, तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

कॉलेजों की डाटा मैपिंग हेतु तालिका का प्रारूप

कॉलेज का नाम	कॉलेज का AISHE कोड	जिला का नाम	मण्डल का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेज की अवस्थिति (GPS)		प्रबन्धक		प्राचार्य	
					अक्षांश (Longitude)	देशान्तर (Latitude)	नाम	मोबाईल	नाम	मोबाईल